

(156)

1

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

डिमांक एफ 73-29/2004/20-2
प्रति,

मोपाल दि० 18.8.2004

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र
मोपाल ।

विषय:- अशासकीय संस्थाओं को डी.एड., बी.एड. एवं एम.एड. पाठ्यक्रम के संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी प्रक्रिया ।

—00—

राज्य शासन द्वारा शिक्षा सत्र 2005 - 06 हेतु अशासकीय संस्थाओं को डी.एड. बी.एड. एवं एम.एड. पाठ्यक्रम संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

1. अशासकीय संस्थाओं को विभिन्न पाठ्यक्रमों के संचालन संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 30 सितम्बर तक स्कूल शिक्षा विभाग में जमा करना होगा । इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा ।
2. दिनांक 30 सितम्बर तक प्राप्त आवेदन पत्रों को निरीक्षण हेतु शासन, राज्य शिक्षा केन्द्र को भेजेगा, राज्य शिक्षा केन्द्र निरीक्षण प्रतिवेदन 15 नवम्बर तक प्राप्त कर अपनी अनुशंसा सहित 15 दिसम्बर तक प्रशासकीय स्वीकृति हेतु भेजेगा ताकि प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत दिनांक 25 दिसम्बर तक अनापत्ति प्रमाण पत्र इच्छुक संस्थाओं को दिया जा सके ।
3. निरीक्षण समिति का गठन राज्य शिक्षा केन्द्र के अधिकारियों एवं अधीनस्थ संस्थाओं यथा शासकीय शिक्षा महाविद्यालय (सी.टी.ई.) एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.टी.एस.) के प्राचार्यों की 3 सदस्यी पैनल द्वारा कराया जावे । निरीक्षण के दौरान एन.सी.टी.ई. के निर्धारित नार्मस पूर्णतः (Full) हो रहे हैं इसका विशेष ध्यान रखा जावे ।
4. अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन करने वाली संस्था को डी.एड. पाठ्यक्रम हेतु रु० 2500/-, बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए 15000/- तथा एम.एड. पाठ्यक्रम हेतु रु० 20000/- की राशि का बैंक दस्तावेज जो आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र के नाम देय होगा, आवेदन पत्र के साथ जमा करनी होगी ।
5. राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा उपरोक्त नीति अनुसार पात्र संस्थाओं के ही अनापत्ति हेतु अनुशंसा की जाय जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्ड (शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक सुविधाओं/स्टाफ आदि) को पूर्ण करते हो ।
6. मान्यता प्राप्त अशासकीय शिक्षा महाविद्यालयों को हर तीन वर्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण (RENEWAL) के लिए पुनः आवेदन करना होगा जिसका निरीक्षण करवाकर नवीनीकरण की स्वीकृति दी जाएगी ।
7. पूर्व में मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं की भी एस.सी.ई.आर.टी. (राज्य शिक्षा केन्द्र) द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया जाएगा एवं मापदंड पूरा न करने की स्थिति में अनियमितता पाए जाने पर शासन द्वारा प्रदत्त एन.ओ.सी. रद्द करने की कार्यवाही की जा सकती है ।

157

8. उक्त नीति का समाचार पत्रों में भी प्रकाशन कराया जावे।
यह नियम वर्ष 2005 से पाठ्यक्रम संचालित करने वाली समस्त संस्थाओं पर लागू होंगे।

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
हस्ता/-
उप सचिव
म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा वि०

पृ० क्रमांक एफ 73-29/2004/20-2
प्रतिलिपि:-

भोपाल दि० 18.8.2004

1. निज सहायक, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्रीजी म0प्र0 भोपाल
 2. क्षेत्रीय निर्देशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् क्षेत्र श्यामला हिल्स भोपाल
 3. सचिव, व्यवसायिक शिक्षा मंडल म0प्र0 भोपाल
 4. कूल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय म0प्र0
 5. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल म0प्र0
- के और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

हस्ता/-
उप सचिव
म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा
विभाग,


कार्यालय, आयुक्त.म.प्र. राज्य शिक्षा केन्द्र
(म.प्र.राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद)

पृ.क्रमांक/रा.शि.के./2004/2944

भोपाल दिनांक 27.8.04

प्रतिलिपि:-

- 1- समस्त प्राचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, म.प्र.,
- 2- समस्त प्राचार्य, अशासकीय शिक्षा महाविद्यालय, म.प्र.। जिन महाविद्यालयों की मान्यता की अवधि 3 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वे नवीनीकरण हेतु तत्काल आवेदन प्रस्तुत करें।
- 3- समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, म.प्र., की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अपर संचालक,
राज्य शिक्षा केन्द्र,
भोपाल।